उत्तर प्रदेश शासन

पंचायती राज अनुभाग-2

संख्या- 2/2015/3250/33-2-2015-36जी/09टी0सी-।

लखनऊ: दिनांक 21 सितम्बर, 2015

कार्यालय-आदेश

श्री जयबिन्द सिंह, अवर अभियंता, जिला पंचायत, गोण्डा की नियुक्ति की तिथि दिनांक 30-5-1995 से 10 वर्ष की सेवा दिनांक 30-5-2005 को एवं 16 वर्ष की सेवा दिनांक 30-5-2011 को पूर्ण हुई है। समयमान वेतनमान की व्यवस्था में इन्हें प्रथम प्रोन्नत वेतनमान देय है। वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार जिला पंचायत के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था सम्बन्धी पंचायतीराज अनुभाग-2 द्वारा निर्गत शासनादेश सं0-1884/33-2-2014-36जी/2009, दिनांक 19-9-2014 के आलोक में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05-11-2014 के प्रस्तर-1 के बिन्दु-(3) (क) एवं (ख) के अनुसार छठे वेतनमान के अंतर्गत दिनांक 01-01-2006 से लागू वेतन संरचना में प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 01-12-2008 से बैण्ड-3 वेतनमान रू015600-39100 ग्रेड पे-5400 एवं द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 30-05-2011 से बैण्ड-3 वेतनमान रू015600-39100 ग्रेड पे-6600 दिये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सुशील कुमार मौर्य
विशेष सचिव ।

संख्या- 2/2015 /3250 (1)/33-2-15- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अध्यक्ष, जिला पंचायत, गोण्डा ।
2- मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, गोण्डा ।
3- अपर मुख्य अधिकारी,जिला पंचायत, गोण्डा ।
4- वित्तीय परामर्शदाता,जिला पंचायत, गोण्डा ।
5- उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, लखनऊ ।
6- संबंधित कार्मिक।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in